न्यायालय उपखण्ड अधिकारी(SDO), भीण्डर जिला उदयपुर (राज.)
पीठासीन अधिकारी : श्री रमेश चन्द्र बहेडिया, आर.ए.एस.
पत्रावली संख्या 12/23 (विविध प्रा. पत्र)
GCMS No. 2023/35

बनाम

1. श्री ओमप्रकाश पिता मोहन लाल कुम्हार (कुमावत) निवासी कुमावतों का मोहल्ला भीण्डर तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज।
2. श्रीमती चन्दादेवी पुत्री स्व. मोहन लाल कुम्हार (कुमावत) निवासी कुमावतों का मोहल्ला भीण्डर तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज।
3. श्रीमती रेखा देवी पुत्री स्व. मोहन लाल कुम्हार (कुमावत) निवासी कुमावतों का मोहल्ला भीण्डर तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज।

प्रार्थीगण

बनाम

1. श्री पिन्टु पिता स्व. उदयलाल कुम्हार (कुमावत) निवासी कुमावतो का मोहल्ला भीण्डर तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज।
2. श्री जगदीश पिता भवरलाल कुम्हार (कुमावत) निवासी कुमावतो का मोहल्ला भीण्डर तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज।
3. श्री ईश्वरलाल पिता गिरजाशंकर चौबीसा ब्राहम्ण निवासी शर्मा हॉस्पिटल के सामने भीण्डर तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज।
4. श्री गोपालकृष्णा पिता गिरजाशंकर चौबीसा ब्राहम्ण निवासी शर्मा हॉस्पिटल के सामने भीण्डर तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।
5. श्री किशनलाल पिता ताराचन्द बोला (रेगर) निवासी रेगर मोहल्ला भीण्डर तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।
6. श्री बद्रीलाल पिता ताराचन्द बोला (रेगर) निवासी रेगर मोहल्ला भीण्डर तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।
7. श्री पप्पु पिता भेरा बोला (रेगर) निवासी रेगर मोहल्ला भीण्डर तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।
8. श्री छोगालाल पिता चुन्नीलाल व्यास जाति ब्राहम्ण निवासी भीण्डर तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।
9. श्री राज्य सरकार जरिये तहसीलदार भीण्डर तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज।

.......................विपक्षीगण

उपस्थित :
1. श्री प्रेम सिंह मोटावत, अधिवक्ता प्रार्थी।
2. श्री कैलाश चन्द्र चौबीसा, अधिवक्ता विपक्षी संख्या 2।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम

—: : निर्णय : :—

दिनांक :—10.03.2025

1. प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू [illegible] अधिनियम के तहत् प्रस्तुत किया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि [illegible] भीण्डर तहसील भीण्डर जिला उदयपुर में जमाबंदी संवत् 2078 [illegible] खाता सं[illegible] नया 492 की आराजी नम्बर 976, 972 कुल किता 2 रकबा 0.4600 हैक्टेयर भूमि वर्तमान राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी[illegible] खातेदार

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.07.03 14:18:52 IST
Reason: SelfAttested

[illegible] के नाम हिस्से अनुसार दर्ज रेकर्ड है। [illegible] भूमि की सीमा जानकारी प्रार्थी एवं पडौसी [illegible] जुताई के समय विवाद उत्पन्न हो जाता है जिससे [illegible] किये जाने का निवेदन किया।

2 [illegible] होकर विपक्षी को जरिये नोटिस तलब किया गया। [illegible] अनुपस्थित रहने पर एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये। [illegible] समय दिये जाने के बाद भी जवाब पेश नहीं करने पर विपक्षी [illegible] बंद किया गया। प्रकरण मे बहस सुनी गई।

3 हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। हमने पाया [illegible] भूमि वर्तमान मे प्रार्थीगण हिस्से अनुसार खातेदार है। प्रार्थनाग्रस्त आराजी [illegible] खातेदार है जिससे प्रार्थीगण अपनी आराजीयात में पत्थरगढी करवाना चाहता [illegible] भूमि की सीमा को लेकर प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण के मध्य विवाद बना रहता है। [illegible] विपक्षीगण की भूमि के बीच पक्का पुख्ता सीमाकन नही होने से सीमा विवाद [illegible] अतः सीमा को लेकर विवाद होने से विवाद समाप्ति के लिए पत्थरगढी किया [illegible] अतः प्रार्थीगण का प्ररर्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है।

—: : आदेश : :—

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू. राजस्व अधिनियम [illegible] किया जाता है मौजा भीण्डर पटवार मण्डल भीण्डर तहसील भीण्डर जिला उदयपुर [illegible] संवत् 2078–81 मे खाता संख्या नया 492 की आराजी नम्बर 976, 992 कुल [illegible] .4600 हैक्टेयर भूमि की चारो दिशाओं सीमा की पत्थरगढी कर सीमाकंन कराया जाने हेतु तहसीलदार भीण्डर को 1000/– एक हजार रूपया कमिश्नर शुल्क पर कमिश्नर [illegible] किया जाकर आदेशित किया जाता है कि सभी पक्षकारान की उपस्थिति में पत्थरगढी [illegible] पालना प्रस्तुत करें। उक्त पत्थरगढी किसी प्रकार का कब्जा प्राप्त करने से संबंधित नहीं [illegible] यदि उक्त भूमि पर प्रार्थी का कब्जा नहीं है तो प्रार्थी कब्जा प्राप्ति हेतु सक्षम न्यायालय [illegible] प्राप्त करें। तहसीलदार सुनिश्चित करें कि पत्थरगढी के दौरान कब्जा प्राप्ति की कार्यवाही [illegible] पालना हेतु तहसीलदार भीण्डर को लिखा जाकर पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर [illegible] फीस कमिश्नर राशि का भुगतान प्रार्थी अदा करेगें। निर्णय खुले इंजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.07.03 14:18:52 IST
Reason: SelfAttested